उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-172/2018/2674/92-2-18-71(जॉच)/2016,
लखनऊ:: दिनांक:: 30 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रखण्ड चित्रकूट में माह अगस्त, 2015 में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने अधीनस्थ कार्यों एवं कार्मिकों पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों, वित्तीय नियमों, शासन के आदेशों का उल्लंघन करने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में इंगित नियमों के विपरीत आचरण करते हुए गंभीर अनियमितताएं करने, शासकीय क्षति पंहुचाने तथा अधिशासी अभियन्ता के रूप में सौंपे गये दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-49/2016/1295/92-2-2016-71(जांच)/2016, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1659/92-2-2016-71(जांच)/2016, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री बालकृष्ण के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-बरेली की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 05.07.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-06 आरोपों में से आरोप संख्या-3 व आरोप संख्या-4 पूर्ण रूप से एवं आरोप संख्या-2 व आरोप संख्या-5 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया, किन्तु आरोप संख्या-1 व आरोप संख्या-6 प्रमाणित नहीं पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 04.08.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 20.09.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

आरोप संख्या-2

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित रूप से एक ही कार्य को विभक्त करते हुये बिना तकनीकी स्वीकृति के काल्पनिक बिल आफ क्वांटिटी में दर इंगित करते हुए आमंत्रित निविदा से संबंधित कार्य लालापुर मुख्य मार्ग से पैकोरा सम्पर्क मार्ग तथा पैकोरा सम्पर्क मार्ग से भगौती यादव के पुरवा तक में अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0 द्वारा तकनीकी स्वीकृति दि0 01-01-2016 द्वारा देते हुये, पत्र सं0-713, दि0 08-01-2016 से संगत नियमों के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। निविदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के अनियमित/अनाधिकृत दस्तावेज बिल आफ क्वांटिटी में इंगित मद/मात्रा/दर में श्री बालकृष्ण द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कई मदों को समाप्त करते हुये, अधिकांश मदों के मात्रा में कटिंग करते हुये क्रमश अनुबंध संख्या-45/ईई/आरईडी/2015-16, दिनांक 20-01-2016 एवं अनुबंध संख्या-44/ईई/ आरईडी/2015-16, दिनांक 20-01-2016 गठित किया गया। इस प्रकार से उनके द्वारा आमंत्रित निविदा के आईटम को समाप्त करने, अतिरिक्त आईटम को जोड़ने तथा दरों को परिवर्तित करने, ठेकेदारों के साथ दुरभिसंधि पूर्ण कृत्य करते हुये अनुबंध गठित करने, नियमानुसार कार्य न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने, कर्तव्य एवं दायित्व के निर्वाहन में विफल होने के लिये दोषी पाये गये, जिसके लिये श्री बालकृष्ण को आरोपित किया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवचेना

आरोप संख्या-2 में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित रूप से एक ही कार्य को विभक्त करते हुये आमंत्रित निविदा के आईटम को समाप्त करने, अतिरिक्त आईटम को जोड़ने तथा दरों को परिवर्तित करने, ठेकेदारों के साथ दुरभिसंधि पूर्ण कृत्य करते हुये अनुबंध गठित करने, नियमानुसार कार्य न करने, कर्तव्य एवं दायित्व के निर्वाहन में विफल होने हेतु आरोपित किया गया है। जिसके प्रति उत्तर में अपचारी अधिकारी का कथन है कि उनके द्वारा अनुबंध गठित करते समय समस्त नियमों का पालन किया गया है। उनके द्वारा आरोप सं0-1 के बचाव उत्तर में जो तथ्य दिये गये हैं वह पूर्ण रूप से सत्य है, उनके द्वारा किसी भी मदों के मात्रा में कोई कटिंग नही की गई, बिल आफ क्वांटिटी अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा जोकि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा निविदायें खोलने के समय दी गयी थी, उन्ही में संगणक द्वारा दरों को चैक किया गया, तदुपरान्त प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत उनसे अनुबंध गठित कराया गया। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट द्वारा मार्च, 2015 के कार्य को बार-बार प्राक्कलन में आपत्ति लगाते हुये कार्यों को प्रारम्भ कराने में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के कथन एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न बिल आफ क्वांटिटी में इंगित मद/मात्रा/दर में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कतिपय मदों को समाप्त करने/जोड़ने एवं अधिकांश मदों की मात्रा में कटिंग, एवं दरों के परिवर्तन के आदि के संबंध में दोष सिद्ध नही होता, बिल आफ क्वांटिटी स्टीमेट स्वीकृत के उपरान्त ही तैयार की जाती है, कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01-01-2016 को सक्षम अधिकारी स्तर से प्राप्त हुई। इससे यह स्पष्ट है कि कार्य को कराये जाने हेतु बाद में पुन स्टीमेट तैयार कर पूर्व स्टीमेट में करेक्शन कर ही बिल आफ क्वांटिटी तैयार की गयी है। यहां इस बात से जांच अधिकारी द्वारा सहमत व्यक्ति की गई है कि कार्य के टेण्डर पूर्व में पड चुके थे तथा तकनीकी स्वीकृति भी बाद में प्राप्त हुई, इससे बिल आफ क्वांटिटी के कतिपय आइटम बदल गये तथा पुराने स्टीमेट में हयूम पाइप था तथा नये में आर0सी0सी0 पुलिया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिल आफ क्वांटिटी में करेक्शन किया गया है। पुराना स्टीमेट जांच अधिकारी का उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण भिन्नता प्रकाश में आना संभव नही है। अपचारी अधिकारी द्वारा पुराना स्टीमेट उपलब्ध न कराये जाने के कारण भिन्नता स्पष्ट न होने के सीमा तक अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-2 आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण ने अभिकथित किया है कि उक्त आरोप में उन पर यह आरोप लगाया गया है कि जनपद चित्रकूट में बुंदेलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित रूप से एक ही कार्य को विभक्त करते हुये आमंत्रित निविदा के आईटम को समाप्त करने, अतिरिक्त आईटम को जोड़ने तथा दरों को परिवर्तित करने, ठेकेदार के साथ दुरभि संधि पूर्ण कृत्य करते हुये अनुबन्ध गठित करने, नियमानुसार कार्य न करने, कर्तव्य व दायित्व के निर्वहन में विफल होने हेतु आरोपित किया गया है। बचाव उत्तर में उनके द्वारा अवगत कराया कि अनुबन्ध गठित करते समय समस्त नियमों का पालन किया गया तथा उनके द्वारा आरोप संख्या-1 के बचाव उत्तर में यह लिखा गया अनुबन्ध प्रखण्डीय लेखाधिकारी की टिप्पणी के अनुसार गठित किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा भी अपनी विवेचना में यह स्वीकार किया गया है कि उनका बिल ऑफ क्वान्टिटी में इंगित मद/मात्रा/दर में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कतिपय मदों को समाप्त करने/जोड़ने एवं अधिकांश मदों की मात्रा में कटिंग एवं दरों के परिवर्तन के आदि के संबंध में दोष सिद्ध नहीं होता एवं उक्त आधार पर ही आरोप संख्या-1 स्थापित नहीं पाया गया। उक्त आरोप में जांच अधिकारी द्वारा पुराना स्टीमेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध न कराये जाने के कारण भिन्नता स्पष्ट न होने के सीमा तक उनपर आरोप संख्या-2 आंशिक रूप से स्थापित होता है टिप्पणी की है जिससे श्री बालकृष्ण सहमत नहीं है क्योंकि एक तरफ जांच अधिकारी द्वारा उनपर आंशिक रूप से आरोप स्थापित होना लिखा है दोनो विरोधाभाष है। जांच अधिकारी की विवेचना से अपचारी अधिकारी सहमत नहीं है। अत: उनके द्वारा बचाव उत्तर को पुन: संज्ञान में लेते हुये उन्हे उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

<u>आरोप संख्या</u>-3

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित लालापुर मुख्य कार्य से पैकोरा सम्पर्क मार्ग अनुबंध संख्या-45/ईई/आरईडी/2015-16, दि0 20-01-2016 से संबंधित कार्य की मिटटी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट माप पुस्तिका सं0-7 एल-25 के पेज नं0-2 एवं 3 पर संबंधित अवर अभियंता द्वारा दि0 08-02-2016 को अंकित किये गये, किन्तु श्री बालकृष्ण द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश के उपरान्त भी कोई मापी चेक नही की गयी। माप पुस्तिका के पेज नं0-4 एवं 5 पर पुलिया कार्य की माप अंकित की गयी है, उसमें भी किसी के द्वारा माप चेक नही की गयी।

मिटटी के कार्य के भुगतान की मात्रा 3067.90 घन मी0 में से 12.5 प्रतिशत सेटेलमेंट के रूप में 383.49 घनमी0 कटौती किया जाना था, जो कि रू0 98.00 प्रति घन मी0 की दर से 37,582.02 का अधिक भुगतान तथा रायल्टी के रूप में मिटटी के कार्य पर 2684.41 घन मी0 दर रू0 30.00 प्रतिघन मीटर के अनुसार रू0 80,532.30 एवं अन्य निर्माण सामग्री पर एम0एम0-11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने के कारण अंकन रू0 26,438.00 मात्र की शासकीय क्षति श्री बालकृष्ण द्वारा की गई, इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान में रू0 37,582.00+80,532.00+26,438.00 कुल रू0 1,44,552.00 मात्र सहायक अभियंता की संस्तुति एवं लेखाधिकारी की सम्प्रेक्षा कराये बिना स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये उनके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचायी गयी। इस प्रकार से श्री बालकृष्ण द्वारा शासन के नीतियों का अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये दोषी पाये गये, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवचेना:-</u>

आरोप संख्या-3 में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित लालापुर मुख्य मार्ग से पैकोरा सम्पर्क मार्ग की मिट्टी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट कम से कम 50 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश के उपरान्त भी कोई मापें चेक नही की गयी। माप पुस्तिका पर पुलिया कार्य की माप अंकित की गयी है, उसमें भी किसी के द्वारा माप चेक नहीं की गयी। मिटटी के कार्य के अधिक भुगतान तथा रायल्टी के रूप में मिटटी के कार्य पर 2684.41 घन मी0 दर रू0 30.00 प्रतिघन मीटर के अनुसार रू0 80,532.30 एवं अन्य निर्माण सामग्री पर एम0एम0-11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने के कारण अंकन रू0 26,438.00 मात्र की शासकीय क्षति की गई। इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान में रू0 37,582.00 + 80,532.00 + 26,438.00 - कुल रू0 1,44,552.00 मात्र सहायक अभियंता की संस्तुति एवं लेखाधिकारी की सम्प्रेक्षा कराये बिना स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये आपके द्वारा अधिक भुगतान करशासकीय क्षति पंहुचाने, शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने के आरोप से आरोपित किया है जिसके प्रतिउत्तर में अपचारी अधिकारी का कथन है कि मिटटी के कार्य की भुगतान की मात्रा 3067.20 घनमी0 में से 12.5 प्रतिशत सेटेलमेंट के रूप में 383.49 घन मीटर कटौती किया जाना था। क्योंकि अनुबंध/प्राक्कलन में मिटटी के कार्य को मैकेनिकल काम्पेक्शन सेटिलमेंट करते हुये मिटटी के कार्य की दरें 98.00 प्रति घन मी0 दी गई। अत: रू0 37,582.02 का अधिक भुगतान नही किया गया है, एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रायल्टी के रूप में रू0 80,884.00 काटते हुये चेक की धनराशि 7,78,469.00 का आहरित किया गया, जो कि माप पुस्तिका पर अंकित है एवं सहायक अभियंता की संस्तुति एवं कार्य को प्रगति में रखने की दृष्टि से प्रथम रनिंग बिल में ठेकेदार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुये जिसमें उसने अनुरोध किया था सामग्री की रायल्टी उनके अगले बिल से काट लेना यदि वे एम0एम0 11 प्रस्तुत नही करते। जहां तक एम-11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने का प्रश्न है अभी यह कार्य प्रगति में है सहायक अभियंता द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु लिखा गया था। उक्त को ध्यान में रखते हुये भुगतान किया गया जिससे उनके द्वारा कार्यहित सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के कथन एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा शासकीय हित को अनदेखा कर, ठेकेदार के प्रार्थना पत्र पर विचार कर सामग्री की रायल्टी को ठेकेदार के प्रथम रनिंग बिल से नहीं काटा गया क्योंकि अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। बीजक का भुगतान भी बिना लेखाधिकारी की सम्प्रेक्षा कराये ही किया गया। मिटटी का मैकेनिकल कम्पैक्शन हुआ है या नही तथा मिटटी का कम्पैक्शन टैस्ट हुआ है या नही का कोई साक्ष्य अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। स्टीमेट में मिटटी का मैकेनिकल कम्पैक्शन का प्राविधान है। यह साइट इन्चार्ज का दायित्व है कि वह पूरा मैकेनिकल कम्पैकशन कराकर ही भुगतान करायें। इससे इनके कथन की पुष्टि नही होती है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में माप पुस्तिका में मापे चेक करने का भी कोई उल्लेख नही किया गया है इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई मापे चैक नही की गई। इस कारण आरोप संख्या-3 स्थापित पाया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-</u>

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण ने अभिकथित किया है कि उक्त आरोप में उन पर यह आरोप लगाया गया है कि जनपद चित्रकूट में बुंदेलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अनियमित लालापुर मुख्य मार्ग से पैकोरा संपर्क मार्ग की मिटटी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट कम से कम 50 प्रतिशत मापी चैक करने के निर्देश के उपरांत भी कोई मापी चैक नही की गई। माप पुस्तिका पर पुलिया कार्य की माप अंकित है उसमें भी किसी के द्वारा माप चैक नही की गई। मिटटी के कार्य का अधिक भुगतान तथा रायल्टी के रूप में मिटटी के कार्य पर 2684.41 घन मी0 दर रू0 30.00 प्रति घन मी0 के अनुसार 80,592.30 एवं अन्य निर्माण सामग्री पर एम0एम0 11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने के कारण उक्त रू0 26,438.00 मात्र की शासकीय क्षति हुई। इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान में रू0 37582.00+80532.00+26438.00 कुल रू0 1,44,552.00 मात्र सहायक अभियंता की संस्तुति एवं लेखाधिकारी की सम्प्रेक्षा कराये बिना स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये आपके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाने शासन की नीतियों का अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने का आरोप लगाया गया। बचाव उत्तर में श्री बालकृष्ण द्वारा अवगत कराया था मिटटी के कार्य में 12.5 प्रतिशत सेटिलमेंट नही काटा जाना था क्योंकि अनुबंध/प्राक्कलन में मिटटी को मैकेनिकल काम्पेक्शन सेटिलमेंट करते हुये मिटटी के कार्य की दरें 98.00 प्रति घन मी0 दी गयी है। अत: रू0 37582.00 का अधिक भुगतान नही किया गया तथा रायल्टी के रूप में 80884.00 काटते हुये चैक की धनराशि 778469.00 का आहरित किया गया जो कि माप पुस्तिका पर अंकित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि यह प्रथम रनिंग बिल का भुगतान था कोई फाईनल बिल नही था। एवं सहायक अभियंता की संस्तुति एवं कार्य को प्रगति में रखने की दृष्टि से प्रथम रनिंग बिल में ठेकेदार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुये जिसमें उसने अनुरोध किया था सामग्री की रायल्टी उनके अगले बिल से काट लेना यदि उनके द्वारा एम-11 प्रस्तुत नही किया जाता। जहॉ तक एम-11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने का प्रश्न है अभी तक यह कार्य प्रगति में था तथा प्रथम रनिंग बिल था किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही हुई आरोप निराधार है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आरोप संख्या-5 में भी लगाये गये आरोप बिलकुल एक जैसे है उसमें जांच अधिकारी द्वारा जो टिप्पणी दी गई है दोनो में विरोधाभाष है। उचित होगा कि उनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बचाव उत्तर को पुन: संज्ञान में लेते हुये उन्हें आरोप से मुक्त किया जाय। श्री बालकृष्ण जांच अधिकारी की विवेचना से सहमत नही हैं। जांच अधिकारी द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुये आरोप स्थापित कर दिया गया है।

आरोप संख्या-4

इस कार्य पर पुलियों के निर्माण हेतु अनुबंध शर्त (बी0ओ0क्यू0) के अनुसार अनुबंधित दर पर ठेकेदार को पाइप आपूर्ति एवं पुलिया निर्माण कराना है जबकि श्री बालकृष्ण द्वारा पृथक से अपने कार्यालय पत्रांक-1128 दिनांक 23-02-2016 हयूम पाइप की आपूर्ति ली गयी जिसमें अनुबंध में निर्धारित दर से रू0 105.30 प्रति रनिंग मीटर की दर से अंकन रू0 2369.25 का अधिक भुगतान किया गया। जबकि अनुबंध में उक्त मद होने के बावजूद भी फर्म से आपूर्ति लेना स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये दोषी पाये गये, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना:-

आरोप संख्या-4 में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध पुलियो के निर्माण हेतु अनुबंध शर्त (बी0ओ0क्यू0) के अनुसार अनुबंधित दर पर ठेकेदार को पाईप आपूर्ति एवं पुलिया निर्माण कराना था जबकि अपचारी अधिकारी द्वारा पृथक से ह्यूम पाइप की आपूर्ति ली गयी जिसमें अनुबंध में निर्धारित दर से रू0 105.30 प्रति रनिंग मीटर की दर से अंकन रू0 2369.25 का अधिक भुगतान किया गया तथा कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने हेतु आरोपित किया है जिसके प्रतिउत्तर में अपचारी का कथन है कि ठेकेदार द्वारा पाईप आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की गयी एवं अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया। अधीक्षण अभियंता वृत लोक निर्माण विभाग बांदा के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आर0सी0सी0 पाइप की आपूर्ति आदेश निर्गत कर अवर अभियंता को प्रतिलिपि देते हुये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि उपरोक्त की कटौती बिल से करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये क्योंकि ठेकेदार को जिस पर पर पाईप आपूर्ति की गई वही दरें ठेकेदार के बिल से कटौती करने के आदेश सप्लाई आदेश में अवर अभियंता को दिये गये है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के कथन एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अनुबंध में निहित प्राविधानुसार पुलिया निर्माण के प्रयोग में लाये जा रहे पाइपों की आपूर्ति की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा ही की जानी चाहिये। यदि ठेकेदार कार्य नही कर रहा था तो उसके विरूद्ध अनुबंध के प्राविधानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये जो अपचारी अधिकारी के द्वारा नही की गयी। अत: अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-4 स्थापित पाया गया।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण ने अभिकथित किया है कि उक्त आरोप में उन पर यह आरोप लगाया गया है कि पुलिया निर्माण हेतु अनुबंध शर्त (बी0ओ0क्यू0) के अनुसार अनुबंधित दर पर ठेकेदार को पाईप आपूर्ति एवं पुलिया निर्माण कराना था जबकि उनके द्वारा पृथक से हयूम पाईप की आपूर्ति ली गयी जिसमें अनुबंध में निर्धारित दर से रूपये 105.30 प्रति रनिंग मी0 की दर से अंकन रू0 2369.25 का अधिक भुगतान किया गया तथा कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहूंचाने हेतु आरोपित किया है। बचाव उत्तर में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा पाईप आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की गई एवं अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया। अधीक्षण अभियंता वृत्त लोक निर्माण विभाग, बांदा के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आर0सी0सी0 हयूम पाईप की आपूर्ति आदेश निर्गत कर अवर अभियंता को प्रतिलिपि देते हुये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि उपरोक्त की कटौती बिल से करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये क्योंकि ठेकेदार को जिस दर पर पाइप आपूर्ति की गई वही दर ठेकेदार के बिल से कटौती करने के आदेश सप्लाई आदेश में अवर अभियंता को दिये गये है। अत: किसी प्रकार शासकीय क्षति नही हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होना इंगित किया गया है। लेकिन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की महत्वता को ध्यान में नही रखते हुये एकतरफा निर्णय लेते हुये आरोप स्थापित कर दिया है। उनके द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की दृष्टि से पाईप आपूर्ति आदेश अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की मांग पर किये गये थे, क्योंकि यह कार्य मार्च, 2015 में बुंदेलखण्ड विकास निधि से प्राप्त हुआ था। तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा 08 माह बाद यानी माह जनवरी 2016 में दी गयी तदोपरांत अनुबंध गठित हुआ था। जिला स्तरीय अधिकारी एवं मा0 जनप्रतिनिधि द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा जा रहा था उनके द्वारा शासकीय कार्य हित में पाईप की आपूर्ति लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर ली गयी जिसकी कटौती भी ठेकेदार के बिल से उन्हीं दरों पर करने के आदेश पारित किये थे। जांच अधिकारी द्वारा इस पर कोई ध्यान न देते हुये एकतरफा निर्णय दे दिया गया कि आरोप स्थापित होता है जिससे श्री बालकृष्ण सहमत नही है। श्री बालकृष्ण द्वारा बचाव उत्तर को पुनः संज्ञान में लेते हुये उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

<u>आरोप संख्या-5</u>

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत पैकोरा सम्पर्क मार्ग से भगौती यादव के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग अनुबंध संख्या-44/ईई/आरईडी/2015-16 दि0 20-01-2016 से संबंधित कार्य की मिटटी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट माप पुस्तिका सं0 एल-31 के पेज नं0-48 एवं 49 पर संबंधित अवर अभियंता द्वारा दि0 17-03-2016 को अंकित किये गये, किन्तु आप द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश के उपरान्त भी कोई मापी चेक नही की गयी। माप पुस्तिका के पेज नं0-51 एवं 52 पर पुलिया कार्य की माप अंकित की गयी है, उसमें भी किसी के द्वारा माप चेक नही की गयी।

मिटटी के कार्य के भुगतान की मात्रा 4410.60 घन मी0 में से 12.5 प्रतिशत सेटेलमेंट के रूप में 551.325 घनमी0 कटौती किया जाना था, जो कि रू0 98.00 प्रति घन मी0 की दर से रू0 54,030.00 की क्षति एवं रू0 3859.275 घनमी0 दर से रू0 16.00 प्रति घन मी0 कुल रू0 61,748.00 की रायल्टी मद में क्षति तथा स्टोन डस्ट मद से रायल्टी 444.36 घन मी0 दर रू0 67.00 प्रति घन मी0 कुल रू0 29,772.00 की कटौती कम की गई, इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान में रू0 54,030.00 + 61,748.00 + 29,772.00 - कुल रू0 1,45,550.00 मात्र स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये उनके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचायी गयी। इस प्रकार से उनके द्वारा शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये दोषी पाये गये, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवचेना:-</u>

आरोप संख्या-5 में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत पैकोरा सम्पर्क मार्ग से भगौती यादव के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग से संबंधित मिटटी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट माप पुस्तिका पर संबंधित अवर अभियंता द्वारा अंकित किये गये, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश के उपरांत भी कोई मापी चेक नही की गयी। माप पुस्तिका पर पुलिया कार्य की माप अंकित की गयी है, उसमें भी किसी के द्वारा माप चेक नही की गयी। मिटटी के कार्य के भुगतान की मात्रा 4410.60 घन मी0 में से 12.5 प्रतिशत सेटेलमेंट के रूप में 551.325 घनमी0 कटौती किया जाना था, जो कि रू0 98.00 प्रति घन मी0 की दर से रू0 54,030.00 की क्षति एवं रू0 3859.275 घनमी0 दर से रू0 16.00 प्रति घन मी0 कुल रू0 61,748.00 की रायल्टी मद में क्षति तथा स्टोन डस्ट मद से रायल्टी 444.36 घन मी0 दर स्0 67.00 प्रति घन मी0 कुल रू0 29,772.00 की कटौती कम की गई, इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान में रू0 54,030.00 + 61,748.00 + 29,772.00 - कुल रू0 1,45,550.00 मात्र स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हुये उनके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचायी गयी। इस प्रकार से उनके द्वारा शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये दोषी पाये गये, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया। जिसके कथन में अपचारी अधिकारी का कथन है कि अनुबंध/प्राक्कलन में मिटटी के कार्य को मैकेनिकल काम्पैकशन सेटिलमेंट करते हुये मिटटी के कार्य की दरें 98.00 प्रति घन मी0 दी गयी, रू0 54,030.00 का अधिक भुगतान नही किया गया। क्योंकि सेटिलमेंट मैकेनिकल काम्पेक्शन द्वारा किया गया है। अत: सेटिलमेंट एलाउन्स 12.5 प्रतिशत नियमानुसार काटा नही जाता, आरोप अभिलेखों को नजर अंदाज कर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त रायल्टी मद रू0 61,748.00 क्षति आंकलित की गई तथा स्टोन डस्ट मद में रायल्टी 29,772.00 की कटौती कम की गई है, आरोप अभिलेखों को देखकर नहीं बनाया गया माप पुस्तिका पर स्पष्ट रूप से मिटटी कार्य की रायल्टी 61,748.00 की कटौती की गई एवं स्टोन डस्ट मद में दर 33.00 प्रति घन मी0 14664.00 पार्ट-5 में विदहेल्ड कर ठेकेदार को चैक धनराशि 9,91,435.00 + 1,98,449.00 - 7,92,986.00 का काटा गया है। रू0 14,5,550.00 का अधिक भुगतान करने का आरोप निराधार है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के कथन एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मिटटी का मैकेनिकल कम्पैक्शन हुआ है या नही तथा मिटटी का काम्पैक्शन टैस्ट हुआ है या नही, का कोई साक्ष्य अपचारी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। नियमानुसार मिटटी कार्य की रायल्टी की कटौती की गयी। कार्य में शासकीय क्षति परिलक्षित नही होती है। अत: अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-5 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-</u>

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्णने उक्त आरोप के संबंधमें उल्लेख किया गया है कि जनपद चित्रकूट में बुंदेलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2014-15 के अंतर्गत पैकोरा संपर्क मार्ग से भगौती यादव के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग से संबंधित मिटटी के कार्य हेतु प्रोफाइल मेजरमेंट माप पुस्तिका पर अवर अभियंता द्वारा अंकित किये गये किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत मापी चैक नही की गयी। माप पुस्तिका पर पुलिया कार्य की माप अंकित है उसमें भी किसी के द्वारा मापें चैक नही की गई मिटटी के कार्य का अधिक भुगतान की मात्रा 4410.00 घन मी0 में से 12.5 प्रतिशत सेटिलमेंट के रूप में 551.325 घनमी0 कटौती किया जाना था जो कि रू0 98.00 प्रति घन मी0 की दर से 54030.00 की क्षति एवं रू0 3859.25 घन मी0 दर से रू0 16.00 प्रति घन मी0 कुल 61748.00 की रायल्टी दर में क्षति तथा स्टोन डस्ट मद से रायल्टी 444.36 घन मी0 दर रू0 67.00 प्रति घन मी0 कुल रू0 29772 की कटौती कम की गई। इस प्रकार उक्त बीजक के भुगतान से रू0 54030+61748.00+29772.00 कुल रू0 145550.00 मात्र स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दूरभिसंधि करते हुये आपके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाई गई। इस प्रकार आप शासन की नीतियो का अवहेलना करते हुये स्वेच्छाचारिता आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 03 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, पद का दुरूपयोग करने, शासकीय क्षति पहूंचाने के लिये आरोपित किया गया है बचाव उत्तर में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध/प्राक्कलनमें मिटटी के कार्य को मैकेनिकल काम्पेक्शन सेटिलमेंट करते हुये मिटटी के कार्य की दरें 98.00 प्रति घन मी0 दी गयी, रू0 54030.00 का अधिक भुगतान नही किया गया क्योंकि सैटिलमेंट मैकेनिकल काम्पेक्शन द्वारा किया गया है। अत: सेटिलमेंट 12.5 प्रतिशत नियमानुसार काटा नही जाना आरोप अभिलेखों को नजरअंदाज कर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त रायल्टी मद रू0 61748.00 क्षति आंकलित की गई तथा स्टोन डस्ट मद में रायल्टी 29772.00 की कटौती कम की गई है। आरोप अभिलेख को नजर अंदाज कर बनाया गया है। माप पुस्तिका पर स्पष्ट रूप से मिटटी कार्य की रायल्टी 61748.00 कटौती की गयी एवं स्टोन डस्ट मद में दर 33.00 प्रति घन मी0 14664.00 पार्ट 5 में विदहेल्ड कर ठेकेदार को चेक धनराशि 991435.00-198449.00 बराबर 792986.00 का काटा गया है। रूपये 145550.00 का अधिक भुगतान करने का आरोप निराधार है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में यह लिखा है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमानुसार मिटटी कार्य की रायल्टी कटौती की गयी कार्य में शासकीय क्षति परिलक्षित नही होती है। तदुपरान्त भी उन पर आंशिक रूप से आरोप स्थापित होता टिप्पणी अंकित कर दी गयी है। जिससे वे सहमत नही है। क्योंकि जब उन पर कोई भी शासकीय क्षति परिलक्षित नही होती है तो उन पर आंशिक रूप से आरोप स्थापित होता है लिखना नैसर्गिक न्याय के आधार पर निर्णय गलत लिया गया है। अत: उनके बचाव उत्तर को पुन: संज्ञान में लेते हुये उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 15.11.2017 एवं दिनांक 01.12.2017 द्वारा आरोप संख्या-03 जिसमें मिट्टी के कार्य की रायल्टी काटने के साथ-साथ अन्य निर्माण सामग्री पर एमएम-11 के बिना 6 गुना रायल्टी न काटने के कारण अंकन रू0 26,438.00 की क्षति एवं आरोप संख्या-04 जिसमें पाइप की आपूर्ति पर रू0 2369.25 की कटौती ठेकेदार के बिल से किये जाने के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.11.2017, पत्र दिनांक 06.04.2018 एवं पत्र दिनांक 19.04.2018 द्वारा आरोप संख्या-03 एवं आरोप संख्या-04 के संबंध् मे स्थिति स्पष्ट की गयी।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन तथा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता की आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 28,807.25 की वसूली उनसे करने के साथ ही परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 17.05.2018 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2018 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड "श्री बालकृष्ण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड अलीगढ़ के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति मु0 रू0 28,807.25 की वसूली सहित उन्हें परिनिन्दा का दण्ड दिया जाय।" पर सहमति व्यक्त की है।

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-49/2016/1295/92-2-2016-71(जांच)/2016, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"श्री बालकृष्ण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड अलीगढ़ के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति मु0 रू0 28,807.25 की वसूली सहित उन्हें परिनिन्दा का दण्ड दिया जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-172/2018/2674(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- मा0 लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-45/02/ए.डी.सी./एस-12/2018-19, दिनांक 15-10-2018 के संदर्भ में।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।